



राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

प्राचार्य,
राजस्थान ग्रामीण महाविद्यालय,
सिमारला रोड, थोई,
सीकर, राजस्थान।

क्रमांक: शैक्षणिक द्वितीय/2015/

दिनांक :

विषय:- सत्र 2011-12 में बी.ए. पाठ्यक्रम में सीटों से अधिक प्रवेश पर लगायी पेनल्टी के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सूचित किया जाता है कि सत्र 2011-12 में बी.ए. पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा 120 सीटें प्रदान की गयी थी। परन्तु नामांकन शाखा के रिकॉर्डानुसार आपके महाविद्यालय के विरुद्ध सत्र 2011-12 में 122 छात्रों के परीक्षा आवेदन पत्र प्राप्त होना बताया है। अतः निम्नानुसार आपके महाविद्यालय पर लगायी गयी शास्ती उचित है, जिसे शीघ्रातिशीघ्र जमा करावें अन्यथा शास्ती जमा नहीं कराने की स्थिति में सम्पूर्ण दायित्व स्वयं दोषी महाविद्यालय का होगा।

विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत सीटें (प्रवेशित छात्र प्रति सीट)	महाविद्यालय द्वारा जमा कराये गये आवेदन पत्र की संख्या	अधिक प्रवेश	शास्ती
120 सीटें	122	2	3000*3
कुल शास्ती			6000

भवदीय

उप-कुलसचिव
शैक्षणिक द्वितीय

दिनांक :

क्रमांक: शैक्षणिक द्वितीय/2015/30274-76

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रस्तुत है:-

1. निदेशक, इनफोनेट सेंटर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय से अनुरोध है कि शास्ती जमा नहीं करवाने तक उक्त महाविद्यालय का सत्र 2014-15 का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जावें।
3. अनुभागाधिकारी, परीक्षा अनुभाग, यू.जी., राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

अनुभागाधिकारी
शैक्षणिक द्वितीय